	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 13, शुक्रवार, शाके 1945-अगस्त 04, 2023 *Sravana 13, Friday , Saka 1945- August 04, 2023*	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो ,परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी ,विज्ञप्तियां आदि।

नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 02, 2023

संख्या प.17(10)नविवि/नियम/2019पार्ट-1 :-राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 182 सपठित धारा 337 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxxiv) एवं राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम से 35) की धारा 73-ख एवं 74 की उप-धारा (1) के खण्ड (पी) एवं जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1992 का अधिनियम स. 25) की धारा 25, 30, 40, 65 का खण्ड (सी) तथा 95, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 2) की धारा 25, 30, 40, 61 का खण्ड (सी) तथा 91, अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम सं. 39) की धारा 25, 30, 40, 61 का खण्ड (सी) तथा 91 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2010 में संशोधन करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है और राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35) की धारा 74 की उप-धारा (2) के परन्तुक के प्रति निर्देश से यह आदेश करती है कि इन संशोधन नियमों के पूर्व प्रकाशन को अभिमुक्त किया जाता है क्योंकि राज्य सरकार का लोकहित में यह विचार है कि इन संशोधन नियमों को तुरन्त प्रवृत किया जाना चाहिए, अर्थात्ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन होने की दिनांक से प्रवृत होगें।

2. नियम 13 का संशोधन.- राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2010, के नियम 13 के उप-नियम (1) की तालिका के विद्यमान क्रम संख्या 2 एवं उसकी प्रविष्टियों को निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

''

2	मिश्रित	व्यवसायिक	20 प्रतिशत	10 प्रतिशत
		आवासीय	10 प्रतिशत	5 प्रतिशत
		संस्थानिक		
		औद्योगिक		

		पर्यटन सुविधाएँ			,,
		उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य विशिष्ठ भू-उपयोग			

राज्यपाल की आज्ञा से,

संचिता बिश्नोई,
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।